श्रीधर सी0, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 14.03.2012 को चनपटिया प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय का किये गये निरीक्षण की टिप्पणी :–

1.0 उपस्थिति :–

श्री शैलेश कुमार, वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रखण्ड–सह–अंचल, चनपटिया एवं श्रीमती शोभा रानी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चनपटिया उपस्थित। अंचल अधिकारी, माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आवश्यक कार्य निष्पादन के कारण अनुपस्थित।

2.0 आर.टी.पी.एस. काउन्टर से संबंधित सामान्य सूचनाएं :–

क्र॰	चेक लिस्ट	
1	आई.टी. असिस्टेंट का नाम	श्री निरंजन कुमार
2	कार्यपालक सहायक (प्रखण्ड) का नाम	श्री उनेश कुमार
3	कार्यपालक सहायक (अंचल) का नाम	श्री निर्मल प्रसाद
4	प्रखण्ड के प्रभारी सहायक का नाम	मो. असरफ अली, लिपिक
5	अंचल के प्रभारी सहायक का नाम	श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, लिपिक
6	कार्यपालक सहायक (प्रखण्ड) द्वारा अपना कम्प्यूटर का प्रयोग	स्वयं का लैपटॉप का प्रयोग
7	कार्यपालक सहायक (अंचल) द्वारा अपना कम्प्यूटर का प्रयोग	स्वयं का लैपटॉप का प्रयोग
8	कार्यपालक सहायक (प्रखण्ड) द्वारा अपना डाटाकार्ड कार्यरत अवस्था में का प्रयोग	अनुपलब्ध
9	कार्यपालक सहायक (अंचल) द्वारा अपना डाटाकार्ड कार्यरत अवस्था में का प्रयोग	कार्यरत एवं उपलब्ध
10	निर्गत काउन्टर की संख्या	1 (एक)
11	प्राप्ति काउन्टर की संख्या	1 (एक)
12	विस्वान के पॉपरुम से सम्बद्धता	हाँ
13	नोटिस बोर्ड पर सेवा का प्रदर्शन करना	नोटिस बोर्ड उपलब्ध। निरीक्षण की तिथि को निष्पादित आवेदनों की सूची प्रदर्शित पाया गया।
14	अन्यान्य	प्राप्ति एवं निर्गत एक साथ एक काउन्टर पर किया जा रहा है। पूर्णकालिक निर्गत करने हेतु अलग काउन्टर की व्यवस्था स्थापित नहीं है। अतः प्राप्ति एवं निर्गत हेतु अलग–अलग दो–दो काउंटर स्थापित करने का निदेश दिया गया।

3.0 प्राप्त आवेदन पत्रों के हस्तानान्तरण की व्यवस्था :–

1.0 आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर पेंशन से संबंधित प्राप्त आवेदनों को प्रखण्ड सहायक, श्री असरफ अली को हस्तान्तरित किया जाता है।

2.0 दाखिल खारिज एवं विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों को श्री किशोरी प्रसाद, प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय को हस्तानान्तरित किया जाता है।

3.0 एल.पी.सी. से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों को श्री के.के. मिश्रा, नाजीर, अंचल कार्यालय को हस्तगत कराया जाता है।

4.0 निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि दिनांक 28.12.2011 से 28.01.2012 की अवधि के बीच प्राप्त विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध कर साप्ताहिक रुप से रखा गया है परन्तु आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्ति कराते समय प्राप्ति सूची पर हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित नहीं किया जाता है।

5.0 दिनांक 28.09.2011 से 27.10.2011 तक प्राप्त कराये गये आवेदनों की प्राप्ति सूची पर प्राप्तिकर्ता का हस्ताक्षर है परन्तु तिथि अंकित नहीं है।

6.0 पेंशन से संबंधित प्राप्त आवेदनों को कार्यालय को हस्तगत कराया जाता है। निरीक्षण के क्रम में प्राप्ति सूची पर लधु हस्ताक्षर बनाया हुआ पाया गया परन्तु तिथि अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि प्राप्त तिथि का आवेदन उसी दिन हस्तगत किया गया है या नहीं।

4.0 प्रमाण पत्रों की मुद्रण की गुणवत्ता :–

निरीक्षण की तिथि को पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जो अंतिम रुप से निष्पादित है, का अवलोकन किया। क्रमांक 88, 90, 91, 92, 93 एवं 77 सभी प्रमाण पत्रों में अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर तिथियुक्त है। कार्यालय मुहर अंकित है परन्तु इन सभी प्रमाण पत्रों में अंतिम पंक्ति में जहां आवेदक का नाम एवं उनके पिता के नाम का मुद्रण होना है, वह अस्पष्ट है। सभी आवेदकों के प्रमाण पत्रों में इसी प्रकार का मुद्रण प्रिंटर द्वारा हो रहा है। इसे ठीक करने का निदेश कार्यपालक सहायक को दिया गया।

5.0 निर्गत की व्यवस्था :–

अंचल द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र पंजी का अवलोकन किया। पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्रों के पंजी का संधारण सही ढ़ंग से नहीं किया जाता रहा। दिनांक 10.03.2012 से लगातार क्रम संख्या आवंटित करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पंजी का संधारण प्रारम्भ किया गया है

आर.टी.पी.एस. काउन्टर पर उपलबध तैयार किये गये जाति प्रमाण पत्रों का निर्गत पंजी से मिलान किया गया। प्रमाण पत्र संख्या 77 अमरेश कुमार पंजी में अंकित है परन्तु पंजी में निर्गत की तिथि और अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। निर्गत किये गये प्रमाण पत्र पर अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर तिथि 12.03.2012 अंकित है एवं अंचल कार्यालय का मुहर अंकित है। प्रभारी लिपिक श्री प्रदीप कुमार सिन्हा से पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि अंतिम रुप से प्रमाण पत्र मुद्रित कर अंचल अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर कर निर्गत करने के उपरान्त प्रमाण पत्र आवेदक को वितरित

करते समय उनसे प्राप्ति कराकर अभिलेख/डॉक्यूमेन्टेशन संधारित नहीं है। इस प्रकार कितने आवेदकों को प्रमाण पत्र प्राप्त कराया गया है, से संबंधित आंकड़े न तो प्रभारी लिपिक के द्वारा दिया जा सका ना हीं कार्यपालक सहायक, अंचल श्री निर्मल कुमार के द्वारा दिया जा सका। कार्यपालक सहायक, अंचल के द्वारा बताया गया कि आवेदक को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते समय उनसे पूर्व में आवेदन के लिए निर्गत किये गये प्राप्ति रसीद को वापस लिया जाता है परन्तु वापस लिए गए रसीदों का संधारण नहीं किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रमाण पत्रों को आवेदकों को उपलब्ध कराते समय पावती सही ढ़ंग से प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

आर.टी.पी.एस. काउन्टर के राजस्व से संबंधित मामले का सत्यापन किया गया जो निम्न प्रकार है :–

प्रकार	एल.पी.सी.	दाखिल खारिज	प्रमाण पत्र
निर्धारित समय अवधि खत्म होने के बाद के मामले	120		477
समय अवधि के अंतर्गत लंबित मामले	299		1096
अधिकतम लंबित दिवस	– 82		– 9

5.1 आज दिनांक 14.03.2012 को आर.टी.पी.एस. अंतर्गत संचालित काउन्टर के निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि श्री मोटर अंसारी, हल्का कर्मचारी, हल्का नम्बर–6, अंचल चनपटिया को आवेदन क्रम संख्या 338, 339 एवं 340 को दिनांक 27.01.2012 को अंचल कार्यालय के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु उपलब्ध कराया गया परंतु उनके द्वारा आज तक जांच प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया जिसके कारण बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा दिनांक 25.02.2012 तक नामांतरण वाद का निष्पादन नहीं किया जा सका। इस प्रकार तीनों मामलों में निर्धारित समय सीमा से 28 दिन अधिक बीत जाने के बावजूद उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन अंचल कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार उनके द्वारा बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादन में बाधा उत्पन्न की गयी है।

अतः प्रति मामले में 28 दिन के विलम्ब करने के लिए तीनों मामलों में 3 X 28 = 84 दिन की प्रतिदिन 250 रुपये की विलम्ब शुल्क (84 X 250 = 21,000) निर्धारित करते हुए दण्ड की राशि तीन दिनों के अन्दर अंचल अधिकारी, चनपटिया को वसूल कर प्रतिवेदन प्रेषित करने का आदेश दिया जाता है।

साथ ही उपरोक्त मामले में विलम्ब के लिए आपके विरुद्ध कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने, लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के सुचारु कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने एवं सार्वजनिक हित के विपरित कार्य करने के लिए दण्डात्मक कार्रवाई प्रारम्भ क्यों नहीं

की जाय, के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अंदर अंचल अधिकारी, चनपटिया के माध्यम से उपलब्ध करायें।

5.2 श्री किशोर प्रसाद, प्रधान सहायक, अंचल कार्यालय, चनपटिया द्वारा क्रम संख्या 557 से 566 तक सभी आवेदन जिसकी प्राप्ति लोक सेवा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत दिनांक 03.02.2012 को हुई है। सभी नामांतरण से संबंधित आवेदन है। कार्यपालक सहायक, अंचल के द्वारा बताया गया कि यह सभी आवेदन पत्र राजस्व कैम्प कोर्ट से संबंधित है। इन आवेदन पत्रों से संबंधित प्रविष्टि जब अंचल कार्यालय के द्वारा संधारित पंजी–27 से मिलान किया गया तो मात्र आवेदन का नाम पंजी में अंकित किया हुआ पाया गया। तदोपरांत किसी प्रकार के कार्रवाई की सूचना की कोई प्रविष्टि अंकित नहीं की गयी है। साथ ही पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि किस हल्का कर्मचारी को कितना आवेदन उपलब्ध कराया गया है से संबंधित विवरणी भी अंकित नहीं है। प्रश्नगत सभी मामलों का निष्पादन दिनांक 25.02.2012 तक किया जाना था। निर्धारित समय सीमा 18 दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। निरीक्षण के क्रम में आपके द्वारा इससे संबंधित कोई सूचना नहीं दिया जा सका न ही प्रभारी लिपिक श्री प्रदीप कुमार सिन्हा द्वारा कोई सूचना दी जा सकी।

अतः 10 X 18 = 180 दिन की प्रतिदिन 250 रुपये की विलम्ब शुल्क (180 X 250 = 45000) निर्धारित करते हुए दण्ड की राशि समानुपातिक रूप से तीन दिनों के अन्दर अंचल कार्यालय में जमा करा कर प्रतिवेदन प्रेषित करने का आदेश अंचल अधिकारी, चनपटिया को दिया जाता है।

उपरोक्त मामले में विलम्ब के लिए आपके विरुद्ध कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने, लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के सूचारु कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने एवं सार्वजनिक हित के विपरीत कार्य करने के लिए दण्डात्मक कार्रवाई प्रारम्भ क्यों नहीं की जाय, के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अंदर अंचल अधिकारी, चनपटिया के माध्यम से उपलब्ध करायें।

5.3 लंबित आवेदन पत्रों के क्रम संख्या 557 से 566 सभी आर0टी0पी0एस0 काउंटर के अनुसार दिनांक 03.02.2012 को प्राप्त हुए। इन सभी का निष्पादन दिनांक 25.02.2012 तक होना था निर्धारित समय से अधिक 18 दिन बीत जाने के बावजूद निष्पादन नहीं हुआ। इन आवेदनों से संबंधित पंजी 27 का मिलान किया गया। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकों के नाम को छोड़कर कोई और प्रविष्टि नहीं की गयी है। प्रभारी लिपिक श्री प्रदीप कुमार सिन्हा के द्वारा बताया गया कि आर0टी0पी0एस0 काउंटर से प्राप्त नामों की सूची से दाखिल–खारिज आवेदन पंजी में प्रविष्टि किया गया। इनको छोड़कर उनके पास कोई और सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। कार्यपालक सहायक, अंचल के द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी के

निदेश के आलोक में हल्का कर्मचारी से प्राप्त आवेदनों को चढ़ाया गया है जिसमें आवेदक के द्वारा आर0टी0पी0एस0 अंतर्गत निर्धारित आवेदन पत्र को जमा नहीं किया गया है। ये सभी मामले हल्का नं0–10 के हल्का कर्मचारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव से संबंधित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस कर्मी के द्वारा उक्त आवेदन को आर0टी0पी0एस0 प्रावधान के विपरीत आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर चढ़ाया गया। साथ ही प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा से 18 दिन अधिक बीत जाने के बावजूद जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया। इस प्रकार इस कर्मी के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर आवेदन पत्र अपने स्तर से प्राप्त करना प्रमाणित होता है। साथ ही आवेदन पत्र प्राप्त कर जांच प्रतिवेदन को दबा कर मामलों का निष्पादन में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना प्रमाणित होता है।

अतः 10 X 18 = 180 दिन की प्रतिदिन 250 रुपये की विलम्ब शुल्क (180 X 250 = 45000) निर्धारित करते हुए दण्ड की राशि तीन दिनों के अन्दर अंचल कार्यालय, में जमा करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही सरकारी प्रावधानों के विपरित कार्य करने, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं मनमाने ढ़ंग से काम करने के लिए निलंबित क्यों न की जाए के संबंध में कारणपृच्छा 3 दिन के अंदर अंचल अधिकारी के माध्यम से दायर करना सुनिश्चित करेंगे। लंबित मामलों की सूची का प्रिंट आउट किया गया जो अनुलग्नक "क" में संलग्न है।

5.4 इसी प्रकार क्रम संख्या 823 से 851 के दाखिल–खारिज के आवेदन पत्र भी सीधे आर0टी0पी0एस0 की डाटा बेस में अंकित है परंतु उससे संबंधित आवेदन पत्र अंचल कार्यालय को प्राप्त नहीं है। इन सभी मामलों में निर्धारित समय सीमा से 9 दिन का बिलम्ब हो चुका है। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस अंचल के अंतर्गत हल्का कर्मचारी के द्वारा सीधे आवेदन पत्र बिना आर0टी0पी0एस0 के मैनुअल रसीद निर्गत किए हल्का कर्मचारी के स्तर पर प्राप्त किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों को निस्तार करने में कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार की नियंत्रण नहीं रखी जा रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, चनपटिया के द्वारा आर0टी0पी0एस0 अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए दिए गए निदेशों को स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने में लापरवाही बरती जा रही है।

अंचल कार्यालय में उपलब्ध कागजातों की समीक्षा के क्रम में अध्ययन किया गया। नामांतरण संबंधी आवेदन जो आर0टी0पी0एस0 काउंटर से प्राप्त हो रहे हैं को सूची सहित कार्यालय के प्रधान लिपिक को हस्तांतरित किया जा रहा है। हस्तांतरण सूची पर कतिपय स्थानों पर प्राप्ति की तिथि अंकित नहीं है। अंचल कार्यालय में आवेदन पत्र होने के पश्चात् संबंधित हल्का कर्मचारी को आवेदन पत्र हस्तांतरित किया जा रहा है। हस्तांतरण हेतु प्रपत्र

निर्धारित है और प्रपत्र पर हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित पाया गया। प्रधान लिपिक से हस्तांतरित आवेदन पत्रों के निष्पादन अथवा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के संबंध में सूचना मांगे जाने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। साथ ही कार्यालय के प्रभारी सहायक से प्रधान लिपिक के द्वारा किस–किस हल्का कर्मचारी के पास कितना आवेदन जांच प्रतिवेदन देने हेतु लंबित है से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हल्का कर्मचारी के आवेदन पत्र हस्तांतरित करने के पश्चात् अंचल अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा अंतर्गत जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस नियंत्रण/अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है जिससे इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि संबंधित हल्का कर्मचारी अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न कर संबंधित आवेदकों को घूस देने के लिए मजबूर कर तदोपरांत ही जांच प्रतिवेदन प्रेषित कर रहा है। साथ ही अंचल अधिकारी के द्वारा आर0टी0पी0एस0 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में लापरवाही का द्योतक है।

अतः उपलब्ध प्रमाण सहित अंचल अधिकारी, चनपटिया को कारणपृच्छा निर्गत कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता सुनिश्चित करेंगे।

6.0 दाखिल–खारिज :–

दाखिल खारिज वाद संख्या 1179/2012 के अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक 23.02.2012 को शुद्धि–पत्र निर्गत है, हस्ताक्षरित है। शुद्धि–पत्र की प्रति अभी तक हल्का कर्मचारी को हस्तांतरित नहीं है। अंचल अधिकारी, चनपटिया निष्पादित नहीं नामांतरण वादों में शुद्धि पत्र निर्गत किए जाने, शुद्धि पत्र की तामिला हल्का कर्मचारी एवं आवेदक को किया गया है कि नहीं का सत्यापन कर एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देंगे।

7.0 एल0पी0सी0 :–

एल0पी0सी0 के संबंध में आर0टी0पी0एस0 के काउंटर से प्राप्त लंबित मामलों की सूची क्रमांक 381 से 384 का निष्पादन दिनांक 05.03.2012 तक किया जाना था। अंचल में संधारित पंजी से स्पष्ट है कि यह मामला निष्पादित है परंतु इसकी अद्यतनीकरण आर0टी0पी0एस0 में नहीं किया गया है। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदन प्राप्ति तिथि 22.02.2012 है जबकि आर0टी0पी0एस0 के काउंटर पर इनकी प्राप्ति की तिथि दिनांक 23.02.2012 अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन आवेदनों को सीधा अंचल कार्यालय में प्राप्त कर निष्पादित कर तदोपरांत आर0टी0पी0एस0 में चढ़ाया गया है।

क्रमांक 399 से 412 तक के आवेदन का अवलोकन किया। दिनांक 02.03.2012 को निष्पादित है जबकि ये सभी आवेदन आर0टी0पी0एस0 के सिस्टम में निर्धारित समय से दो दिन अधिक समय हो जाने के बावजूद निष्पादित नहीं हुआ दिखाया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि

अंचल कार्यालय के कर्मी एवं आर0टी0पी0एस0 काउंटर के कार्यपालक सहायक के बीच तालमेल नहीं है। दिनांक 02.03.2012 को निष्पादित मामलों को 12 दिन बीत जाने के बावजूद आर0टी0पी0एस0 सिस्टम पर अद्यतन नहीं किया गया है। साथ ही एल0पी0सी0 की निर्गत पंजी में निर्गत क्रमांक लगातार नहीं दिया जा रहा है। आवेदन के अंतिम तीन नम्बर को निर्गत क्रमांक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एल0पी0सी0 से संबंधित प्राप्त आवेदनों को अंचल निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार को प्राप्त कराया जाता है। तालमेल के अभाव का दायित्व इन पर निर्धारित करते हुए इनसे स्पष्टीकरण पूछकर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

एल0पी0सी0 से संबंधित आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर लंबित मामलों की सूची निम्नवत् हैः—

प्रकार	आवेदनों की संख्या
निर्धारित समय अवधि खत्म होने के बाद के मामले	194
समय अवधि के अंतर्गत लंबित मामले	493
अधिकतम लंबित दिवस	— 65 कुल 7 मामले

8.0 सामान्य :—

साथ हीं वैट एवं टी.डी.एस. मद में की गयी कटौती को भी दिनांक 20.03.2012 तक चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

(श्रीधर सी.)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 353/गो0, दिनांक 21/03/2012

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चनपटिया/अंचल अधिकारी, चनपटिया/जनशिकायत पदाधिकारी, बेतिया/प्रभारी पदाधिकारी, आर.टी.पी.एस., बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बेतिया/अपर समाहर्त्ता, बेतिया/अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया/आई.टी. मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीधर सी.)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 353/गो., दिनांक 21/03/2012

प्रतिलिपिः— आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर मिशन निदेशक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी.)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।